"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011—श्रावण 28, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरिओम प्रकाश आत्मज श्री प्रेमचन्द चौधरी, आयु-46 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 37/1-सी, रिसाली सेक्टर भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में वरिष्ठ तकनीशियन के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे पुत्र का नाम भूलवश उसके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में "दीपरस कुमार" अंकित हो गया है, को परिवर्तित कर "दीप चौधरी" दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को दीप चौधरी आत्मज श्री हरिओम प्रकाश के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
दीपरस कुमार आत्मज-श्री हरिओम प्रकाश निवासी-क्वा. नं. 37/1-सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	दीप चौधरी आत्मज-श्री हरिओम प्रकाश निवासी-क्वा. नं. 37/1-सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजु पिल्लई आत्मज--स्व. श्री करूणाकरण पिल्लई, निवासी-म.नं.-सी-24, सेक्टर-1, शंकर नगर, थाना-सिविल लाईन, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम विजु पिल्लई, के. पी. विजु पिल्लई एवं पिल्लई करूणाकरण दर्ज हो गया है, को परिवर्तित कर विजु पिल्लई दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे विजु पिल्लई आत्मज स्व. श्री करूणाकरण पिल्लई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
विजु पिल्लई, के. पी. विजु पिल्लई एवं पिल्लई करूणाकरण आत्मज-स्व. श्री करूणाकरण पिल्लई निवासी-म. नं. सी-24, सेक्टर-1, शंकर नगर थाना-सिविल लाईन रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	विजु पिल्लई आत्मज-स्व. श्री करूणाकरण पिल्लई निवासी-म. नं. सी-24, सेक्टर-1, शंकर नगर थाना-सिविल लाईन रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जगतराम लहरवानी पिता स्व. श्री सुकरमल जी लहरवानी, जाति-सिन्धी, आयु-63 वर्ष निवासी-वार्ड क्र. 36, चौखड़िया पारा, राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों, बैंक एवं पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में मेरा उपनाम "चॉदवानी" अंकित है, को परिवर्तित कर अपना नया उपनाम "लहरवानी" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से जगतराम लहरवानी आ. स्व. सुकरमल जी लहरवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
जगतराम चॉदवानी पिता-स्व. श्री सुकरमल जी चॉदवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)	जगतराम लहरवानी पिता-स्व. श्री सुकरमल जी लहरवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ईश्वरी देवी लहरवानी ध.प. श्री जगतराम जी लहरवानी, जाति-सिन्धी, आयु-62 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-36, चौखड़िया पारा, राजनांदगांव (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों, बैंक एवं पासपोर्ट व अन्य अभिलेखों में मेरा उपनाम "चॉदवानी" अंकित है, को परिवर्तित कर अपना नया उपनाम "लहरवानी" रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती ईश्वरी देवी लहरवानी ध.प. श्री जगतराम जी लहरवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती ईश्वरी देवी चॉदवानी ध.प.-श्री जगतराम जी चॉदवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)	श्रीमती ईश्वरी देवी लहरवानी ध.प.-श्री जगतराम जी लहरवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचंद लहरवानी आ. श्री जगतराम जी लहरवानी, जाति-सिन्धी, आयु-48 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र. 36, चौखड़िया पारा, राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों, बैंक एवं पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में मेरा उपनाम "चॉदवानी" अंकित है, को परिवर्तित कर अपना नया उपनाम "लहरवानी" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे रामचंद लहरवानी पिता श्री जगतराम जी लहरवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
रामचंद चॉदवानी पिता-श्री जगतराम जी चॉदवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)	रामचंद लहरवानी पिता-श्री जगतराम जी लहरवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सीमा देवी लहरवानी ध.प. श्री रामचंद जी लहरवानी, जाति-सिन्धी, आयु-42 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-36, चौखड़िया पारा, राजनांदगांव (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों, बैंक एवं पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में मेरा उपनाम "चॉदवानी" अंकित है, को परिवर्तित कर अपना नया उपनाम "लहरवानी" रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती सीमा देवी लहरवानी ध.प. श्री रामचंद जी लहरवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती सीमा देवी चॉदवानी ध.प.-श्री रामचंद जी चॉदवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)	श्रीमती सीमा देवी लहरवानी ध.प.-श्री रामचंद जी लहरवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दयालदास लहरवानी पिता-श्री जगतराम जी लहरवानी, जाति-सिन्धी, आयु-42 वर्ष निवासी-वार्ड क्र. 36, चौखड़िया पारा, राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों, बैंक एवं पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में मेरा उपनाम "चॉदवानी" अंकित है, को परिवर्तित कर अपना नया उपनाम "लहरवानी" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे दयालदास लहरवानी पिता श्री जगतराम जी लहरवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
दयालदास चॉदवानी पिता-श्री जगतराम जी चॉदवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)	दयालदास लहरवानी पिता-श्री जगतराम जी लहरवानी निवासी-वार्ड क्र. 36 चौखड़िया पारा राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 30 जुलाई 2011

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2011/542.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 07, दिनांक 05-01-2011 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोड़गांव, तहसील अंतागढ़, जिला कांकेर जिसका पंजीयन क्रमांक 415 दिनांक 28-02-1997 है, को छ.ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 67 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री जगदीश मरकाम, स.वि.अ., अंतागढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला कांकेर छ.ग. छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/7-3/सह./15/2426/दिनांक 13-06-2001 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-07-11 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.